

राजस्थान सरकार

(य उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प किशनगढ़

आदेश

प्रार्थी के "खाता हुरूसती" प्रार्थना पत्र पटवारी खंडूच

अ.नि. कोंदरज सिंह की रिपोर्ट तथा तहसीलदार किशनगढ़


नायब तहसीलदार की अनुज्ञा के आधार पर राजस्थान घू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार ग्राम सिदरी तहसील किशनगढ़ व

जिला कुर्नूल की जमाबन्दी सम्वत् 2067-70 में खाता संख्या 90

में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।


क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	सिदरी	90	नाथू कंवर पुत्री नारायण सिंह काम राजपूत सा.देह।	नाथू कंवर पुत्री निमल कंवर पुत्री नारायण सिंह काम राजपूत सा.देह।

शेखर प्रभारी अधिकारी
 एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 किशनगढ़


 पीठासीन अधिकारी
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहा. कलक्टर

क्रमांक :- 140
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामदा शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली


 पीठासीन अधिकारी
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 कलक्टर